संख्या-15/2017/59/23-14-2017-36आ0पू0वि0नि0/2015

प्रेषक,

मोहन बाबू गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
सोनभद्र ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ:दिनांक- 16 फरवरी, 2017**

विषय:-पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-सोनभद्र की 01 परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-76/2016/311/23-14-16-36आ0पू0वि0नि0/15, दिनांक 30.03.2016 द्वारा जनपद-सोनभद्र की 01 परियोजना-ग्राम बागेसोती में चुरचुरवा नाला पर रपटा/पुलिया एवं पहुंच मार्ग का नवनिर्माण तथा 70 मी0 स्पान वेन्टेज काज-वे एवं 02 नं0 1 गुणे 2 मी0 स्पान आर0सी0सी0 कल्वर्ट, 80.00 मी0 रिटेनिंग वाल सहित (पहुंच मार्ग 0.700 कि0मी0) निर्माण कार्य कराए जाने हेतु रू0 95.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 19.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र के पत्र संख्या-1893/11ए, दिनांक 21.11.2016 द्वारा प्रपत्र-42आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि रू0 76.25 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र के उक्त पत्र/प्रपत्र-42आई के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत 01 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में उक्त अवशेष धनराशि रू0 76,25,000.00 (रू0 छिहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) अवमुक्त करने एवं उसे आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजना की कार्यदायी संस्था, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र है। परियोजना का विवरण निम्नवत है:-

धनराशि (लाख रू0 में)

[redacted] सं0	परियोजना का नाम/जनपद-सोनभद्र	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (लो0नि0वि0 अंश)	अब तक अवमुक्त कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन
1	2	3	4	5
1	ग्राम बागेसोती में चुरचुरवा नाला पर रपटा/पुलिया एवं पहुंच मार्ग का नवनिर्माण तथा 70 मी0 स्पान वेन्टेज काज-वे एवं 02 नं0 1 गुणे 2 मी0 स्पान आर0सी0सी0 कल्वर्ट, 80.00 मी0 रिटेनिंग वाल सहित (पहुंच मार्ग 0.700 कि0मी0)	95.31	19.06	76.25
	योग-	**95.31**	**19.06**	**76.25**

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

3- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- परियोजना का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) आपका दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्यो के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्व ढंग से पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी तथा आप यह भी सुनिश्चित करेगें कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए आप पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 खाते में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग/सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

(9) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/ परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेगें तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेगें। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजना के मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे ।

(13) निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार किया जाय।

(14) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही प्राथमिकता के आधार पर महालेखाकार से ऑकड़ों का सम्परीक्षण कराकर सम्परीक्षण आंकड़े शासन को अवश्य प्रेषित कर दिये जाय।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा !

5- उपर्युक्त परियोजना के समयबद्व एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए आप स्वंय उत्तरदायी होगें एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेगें।

6- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत-पूॅजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूॅजीगत परिव्यय-(आयोजनागत)-02-पिछडे क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाए-24-वृहत निर्माण कार्य में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहन बाबू गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या-15/2017/59(1)/23-14-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, इलाहाबाद।
3- आयुक्त, विन्ध्यांचल मण्डल, मीरजापुर ।
4- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, सोनभद्र ।
5- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी ।
7- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र ।
8- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, इलाहाबाद।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।